



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102022-239748
CG-DL-E-19102022-239748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4724]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944

No. 4724]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4936(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 'केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग' (पैन: AAALK1634N), केरल राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग को उस आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) केरल राज्य सरकार से अनुदानों और ऋणों के रूप में प्राप्त राशि ;
- (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत लाइसेंस शुल्क;
- (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत याचिका शुल्क; तथा
- (घ) उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) में से किए गए निवेशों पर अर्जित ब्याज।

2. इस अधिसूचना के प्रावधान उन शर्तों के अधीन प्रभावी होंगे कि केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

- (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 तथा 2026-2027 के लिए लागू किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 117/2022/फा. सं. 300196/33/2022-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2022

S.O. 4936(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, Kerala State Electricity Regulatory Commission (PAN: AAALK1634N), a Commission established by the State Government of Kerala, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:—

- (a) Amount received in the form of grants and loans received from State Government of Kerala;
- (b) License fees under Electricity Act, 2003;
- (c) Petition fees under Electricity Act, 2003; and
- (d) Interest earned on investments made out of (a), (b) & (c) above.

2. The provisions of this notification shall be effective subject to the conditions that Kerala State Electricity Regulatory Commission, -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file returns of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable for the financial years 2022-23, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 and 2026-27.

[Notification No. 117/2022/F. No. 300196/33/2022-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.